# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

**बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0**

| **प्रार्थीगण** | | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1–दलपतसिंह पुत्र विजयसिंह<br>2–धनसिंह पुत्र विजयसिंह जातियान राजपूत निवासीगण छीबागांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही | **बनाम** | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज<br>2. छोटूराम पुत्र मालाराम जाति मीणा निवासी गुन्दौज जिला पाली |

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 43/2022
दिनांक 25.07.2025

## –::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा छीबागांव पटवार क्षेत्र छीबागांव तहसील शिवगंज में स्थित है जिसके खसरा नं0 560/684 रकबा 0.3237 हैक्टयर है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 560/684 के खातेदार कृषक है जिस पर प्रार्थीगण काश्तकारी कर अपने व परिवार का जीवन यापन करते है प्रार्थीगण के खातेदारी वाली उपरोक्त कृषि आराजी के आगे लगती अप्रार्थी संख्या 01 की बिलानाम सरकारी भूमि खसरा सं. 560/692 आयी हुई है तथा खसरा संख्यां 560/684 के आगे से खसरा संख्यां 560/692 में से वर्षो पुराना रास्ता बना हुआ है जों गौतमजी पक्की सडक से मिलता है लेकिन प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है प्रार्थीगण के खसरा संख्यां 560/684 में आने जाने हेतु गौतमजी पक्की सडक से अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 560/692 सरकारी भूमि में से कच्चा रास्ता जो करीबन 100 फीट लम्बा रास्ता कदीमी से बना हुआ है जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से मार्क किया गया है संलग्न नक्शे को प्रार्थना पत्र का भाग समझा व माना जावें। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने पूर्व रसाधिकारीयों के जरिये करता आ रहा है। खसरा संख्यां 560/692 सरकारी भूमि के रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी वाली कृषि आराजी में आने जाने हेतु और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। संलग्न नक्शा मोमियो में दर्ज खसरा संख्या 560/684 में से होकर खसरा संख्या 560/692 में स्थित राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 की बिलानाम सरकारी भूमि खसरा संख्या 560/692 से लगती सुकडी नदी के किनारे खसरा संख्यां 557, 558 व 559 वाली कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो सेटलमेण्ट के समय से तरमीम सुदा है जिसका अधिकांश भाग वर्ष 1973 की अतिवृष्टि में नदी के बहाव में बह गया और शेष भाग गौतमजी सडक के नीचे आ गया। अप्रार्थी संख्या 03 अपने स्वामित्व की कृषि आराजी बताकर स्थानीय पटवारी व राजस्व अधिकारी से मेल मिलाप कर बिना पैमाईश व बिना सीमाज्ञान के आस पडौस के खातेदारो की गैर मौजुदगी में अपने मन मर्जी मुताबिक नदी व सडक में आई कृषि भूमि को छोडकर गलत ढंग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया है और खसरा संख्या 560/692 को अप्रार्थी संख्या 03 अपनी कृषि आराजी बताकर उस में से वर्षो पुराने कच्चे रास्ते को जे.सी.बी. मशीन से खाई खोदकर बन्द कर दिया है प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 03 ने जान से मारने व [illegible] भुगतने की धमकी दी है जिसकी लिखित रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.11.2022 [illegible] पुलिस थाना पालडी एम. में दी थी। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा खसरा संख्या 560/692 सरकारी भूमि [illegible] भूमि बताकर उसमें से वर्षो पुराने कच्चे रास्ते को जे.सी.बी. मशीन से खोदकर बन्द कर [illegible] फसल की सिंचाई नहीं [illegible] रही है और फसल बुवाई के लिए खाद, बीज नहीं ले जा पा [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 की [illegible] भूमि में से रास्ते के उपयोग व उपभोग में अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बाधा उत्पन्न करवाई जा रही है शेष इलाका पहाडी व उबड खाबड होने से और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा काफी कोशिश करने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 560/692 सरकारी भूमि मे मौजुद वर्षो पुराने कच्चे रास्ते को नही खोल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

........................ शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 55/2025
दलपतसिंह व अन्य बनाम तह0 शिवगंज व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

जिससे उपरोक्त रास्ते को खुलवाया जाना एवं राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाना प्रार्थीगण के लिए अत्यंत ही आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजी के आस पास अन्य खातेदारो की कृषि भूमि आई हुई स्थित है उन्हे भी अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु सरकारी भूमि मे से रास्ते का उपयोग व उपभोग करने के कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी वाली कृषि आराजी पर आने जाने से व उसके उपयोग व उपभोग करने से अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की बिना सहमति से वंचित नहीं किया जा सकता है प्रार्थीगण नियमानुसार अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण के खातेदारी वाली कृषि आराजी खसरा संख्या 560/684 व गौतमजी पक्की सडक के बीच में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 560/692 में 100 फीट रास्ता प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उपयोग व उपभोग किये जा रहे खसरा संख्या 560/692 में स्थित रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में इन्द्राज नहीं होने से वर्तमान में विधि विरूद्ध तरीके से बन्द है और बावजूद निवेदन के अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा सरकारी रास्ता खोलने हेतु तैयार नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण पैदा हुआ है। राजस्थान राज्य भूमिधारक होने व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्राधिकृत होने से उन्हे अप्रार्थी संख्या 01 बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 03 अतिक्रमी है उसे रास्ता बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए रास्ता हेतु मांगी गई भूमि सरकारी भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध प्रभावी अनुतोष चाहा जाकर रास्ते की मांग की गई है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 61 दिनांक 24.01.2023 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 14.06.2024 को अप्रार्थी सं0 3 के नोटिस तामील होने व उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 11.02.2025 अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर इनका जवाब बंद किया गया व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रास्ते की चौडाई का अंकन नहीं किया गया था। जिससे 30 फीट चौडे रास्ते चाहा गया है। तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक 297 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 560/684 की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन भिन्न स्थान पर कर दी जाने से मौका स्थिति रिकॉर्ड से भिन्न है। तहसीलदार शिवगंज के द्वारा एक रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक 201 दिनांक 8.4.2025 के द्वारा भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया कि खसरा नं0 560/684 का जमाबंदी अनुसार रकबा 0.3237 हैक्टयर है एवं खसरा नं0 560/692 का रकबा 0.8094 हैक्टयर है। जबकि नक्शे मे प्रार्थी का खसरा नम्बर बडा लगभग 5 बीघा से ज्यादा एवं बिलानाम खसरा नम्बर 3 बीघा से भी छोटा बना हुआ है। अतः तरमीम शुद्धी किये जाने के पश्चात ही रास्ता दिया जाना संभव होगा। जिस पर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 224 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा तहसीलदार शिवगंज को तरमीम शुद्ध कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक 277 दिनांक 6.5.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमे बताया कि प्रार्थीगणों को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी के खसरे में प्रवेश हेतु चाहा गया रास्ता संलग्न नक्शें में पीले रंग से दर्शाया गया है जो [illegible] 560/681 किस्म गै.मु.पहाड में बिन्दु संख्या–ई–एफ–जी ( लम्बाई 64 मीटर क्षेत्रफल 2[illegible] वर्ग [illegible]) एवं बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 560/692 किस्म–ब–2 बिन्दु संख्या [illegible] क्षेत्रफल 344 वर्ग मीटर) कुल क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर अर्थात 0.0[illegible] मार्ग की कुल लम्बाई 150 मीटर है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु न्यूनतम मार्ग केस[illegible] रंग से दर्शाया गया है जो बिन्दु संख्या ए–बी–सी–डी द्वारा अंकित है। इसमें बिन्दु संख्यां ए–बी–सी (लंबाई 72 मीटर एवं क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर) की भूमि खसरा नम्बर–556 किस्म बारानी 3 खातेदारी भूमि है। इसमें बिन्दु संख्या सी–डी (लंबाई 26 मीटर एवं क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर) की भूमि खसरा नम्बर–560/692 किस्म ब–2 बिलानाम भूमि है।

........................ शेष पेज संख्या तीन पर

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं0 55/2025
दलपतसिंह व अन्य बनाम तह0 शिवगंज व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

खातेदारी भूमि बिन्दु संख्या ए–बी–सी खसरा नम्बर 554 की भूमि PACL कंपनी से संबंधित होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) द्वारा गठित जस्टीस (से.नि.) आर.एम. लोढा कमेटी द्वारा जारी यथा स्थिति के स्थगनादेश से प्रभावित है (आदेश की प्रति संलग्न है)। इस मार्ग की कुल लम्बाई 98 मीटर बनती है। प्रस्तावित रास्ता दोनों और से 4 मीटर चौडाई का है। लंबाई एवं क्षेत्रफल प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 3(ए) व 3 (बी) के अनुसार है। उक्त दोनों रास्तें हरे रंगे से दर्शायें गये डामरीकृत रास्ते से जुडते है। उक्त हरे रंग से दर्शाया गया रास्ता जो खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 555, 556, 558 व 559 में से गुजर रहा है। प्रस्तावित रास्ते में कोई संरचना निर्मित नहीं है। दिनांक 13.06.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार शिवगंज द्वारा दूसरी और से प्रस्तावित रास्ता EFGHI से रास्ता दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की परन्तु उक्त रास्ता खसरा नं0 560/681 के खातेदार श्री छोटूराम पुत्र मालाराम मीणा निवासी गुन्दौज जिला पाली में से प्रस्तावित किया गया है। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने पूर्व में पक्षकारों से रास्ता न चाह कर छोटूराम मीणा को पक्षकार बनाने हेतु संशोधित अनवान व पीएफ नोटिस पेश किये। दिनांक 02.07.2025 को अप्रार्थी छोटूराम का नोटिस इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि इस नाम का ग्राम गुन्दोज में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जिससे प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी छोटूराम का नोटिस अखबार में प्रकाशित करने का निवेदन किया जो स्वीकार किया गया। व प्रार्थी अधिवक्ता ने फहरिश्त के साथ दिनांक 23.07.2025 को अप्रार्थी छोटूराम का नोटिस दैनिक नवज्योति अखबार में दिनांक 03.07.2025 को प्रकाशित हुआ उसकी प्रति पेश की परन्तु अप्रार्थी सं0 2 छोटूराम के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध इसी दिन एकतरफा कार्यवाही की जाकर उनका जवाब बंद किया गया। व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ABCD लधुत्तम दूरी पर है परन्तु उस पर ED का स्थगन होने से EFGHI से प्रार्थीगणों ने रास्ता की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

| कसं0 | खातेदार का नाम | खसरा नं0 | खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल | डीएलसी दर | DLC दर के कीमत रूपये | प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री छोटूराम पुत्र मालाराम मीणा निवासी गुन्दौज जिला पाली | 560/681 रकबा 0.8094 हैक्टयर | E से G तक 4X40+4 X24=256 वर्गमीटर | 3,83,000 रू0 प्रति0 हैक्टयर | 9805 | 19610/–रूपये अक्षरे उन्नीस हजार छः सौ दस रूपये मात्र। |
| 2 | बिलानाम (राजस्थान सरकार) | 560/692 रकबा 0.8094 हैक्टयर | G से I तक 4X41+4 X45=344 वर्गमीटर | 1,25,000 रू0 प्रति0 हैक्टयर | 4300 | 8600/–रूपये अक्षरे आंठ हजार छः सौ रूपये मात्र। |

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा छीबागांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 560/684 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा छीबागांव के उपर सारणी के अनुसार खातेदारान की भूमि में से पंहुचने हेतु रास्ता मौजा छीबागांव के खसरा नम्बरान के डीएलसी रेट के अनुसार राशि 14105/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 28210/–( अटठाईस हजार दो सौ दस ) रूपये** का भुगतान प्रार्थीगणों द्वारा संबंधित अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी सिवायचक** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग मा[illegible]देश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलेक्टर शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 443
दिनांक 25.07.2025

**प्रतिलिपिः–**

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)